कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 345/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 24.09.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 24.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

थाना-दीदारगंज

मोबाइल चोरी करने वाले 03 अभियुक्त, चोरी के मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.07.2025 को वादी सत्यवंत सिंह पुत्र राणा प्रताप सिंह निवासी ग्रा0 खेतापट्टी,पो0- दीदारगंज आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि वह अपने किराने की दुकान पर था कि बाईक सवार 3 व्यक्ति आकर 10 रूपये का पान मसाला मांगे और जैसे ही मैं अपनी मोबाईल काउंटर पर रखकर समान देने के लिए मुडा कि इसी दौरान वे मेरी मोबाईल चोरी करके लेकर चले गये। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 186/25 धारा 303(2) BNS मु0अ0स0 186/25 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 24.09.2025 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तों 1. सत्येदव पुत्र रामचन्दर निवासी अमरेथूआं थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र करीब 22 बर्ष 2.रितिक पुत्र रामधनी निवासी अमरेथूआं थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र करीब 21 बर्ष 3.नितिन पुत्र मटरु निवासी अमरेथूआं थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र करीब 19 बर्ष को सुघरपुर मोड से गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सत्येदव पुत्र रामचन्दर निवासी अमरेथूआं थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र करीब 22 बर्ष
2. रितिक पुत्र रामधनी निवासी अमरेथूआं थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र करीब 21 बर्ष
3. नितिन पुत्र मटरु निवासी अमरेथूआं थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र करीब 19 बर्ष

बरामदगी:-

01. एक अदद मोबाइल चोरी का

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना दीदारगंज आजमगढ़
2. व0उ0नि0 अनिल कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
3. का0 कृष्ण कुमार पटेल थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
4. का0 हरेन्द्र प्रसाद थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

02.थाना-देवगाँव: चोरी की कुल 02 घटनाओं का सफल अनावरण, चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा,कारतूस व कुल 2150 रूपये नगद बरामद किया गया।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

➡ आवेदिका चम्पा पत्नी अच्छेलाल राम ग्राम माधोपुर धरांग थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि, आवेदिका द्वारा अपनी नाती सौरभ को देखने प्रजापति हास्पिटल कस्बा लालगंज गयी थी, जहाँ दो अज्ञात व्यक्तियो द्वारा सुरक्षा का झांसा देकर आवेदिका को अपने विश्वास में लेकर कान की बाली, गले का लाकेट व 7000 रुपये को पर्स में रखवाकर ले लिए और उसे लेकर फरार हो गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 311/2025 धारा 318(4) बीएनएस बनाम 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡ आवेदक गौतम सेठ पुत्र स्व0 प्रदीप कुमार सेठ निवासी कस्बा लालगंज, थाना देवगाँव, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि मेरी मोटर साइकिल सुपर स्प्लेण्डर नम्बर UP50AB 6855 जो कि दिनाँक 27.08.2025 को प्रा0 विद्यालय लालगंज के गली मे खड़ा किया था लगभग 3.28 बजे वादी जब जाकर देखा तो गाड़ी वहाँ खड़ी नही मिली। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 341/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 24.09.2025 को उ0नि0 सुभाष तिवारी, उ0नि0 हरिश्चन्द्र यादव मय हमराह के जिवली तिराहा कस्बा देवगांव में मौजूद थे कि वहीं पर द्वितीय मोबाइल से उ0नि0 अभिषेक मिश्रा, उ0नि0 चित्रांशू मिश्रा उपस्थित आये जहाँ हम सभी अपराधियो के संबंध में आपस में बात कर रहे थे कि, जरिए मुखबिर सूचना मिली कि छावनी देवगाँव हाईवे कट की तरफ से 03 बदमाश मोटर साईकिल से कस्बा देवगाँव की तरफ आ रहे है। प्राप्त सूचना के आधार पर छावनी हाईवे कट पर पुलिस बल चेकिंग किया जाने लगा कि एक मोटर साइकिल पर सवार 03 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये जिन्हे रोककर नाम पता पूछा गया तो उनके द्वारा अपना नाम क्रमशः 01. आजाद कुमार पुत्र रामदुलार निवासी फैजुल्लापुर थाना देवगाव, आजमगढ़ 02. सुरेन्द्र राम पुत्र शोभनाथ राम निवासी कटघर लालगंज वार्ड नं 2 थाना देवगाव, आजमगढ़ 03. इंतखाब आलम पुत्र मो0अनीश निवासी कटघर लालगंज उत्तरी वार्ड नं 11 थाना देवगाव, आजमगढ़ बताया गया। आजाद कुमार उपरोक्त के पास से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 432/2025 धारा 3/25 आर्म्स बनाम अभियुक्त आजाद कुमार उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि दिनाँक 27.08.2025 को प्राथमिक विद्यालय लालगंज की गली से एक मोटर साईकिल चोरी किये गये थे जो हम लोगो के पास से बरामद हुआ है तथा दिनांक 03.09.2025 को प्रजापति हास्पिटल के पास से एक औरत को बातचीत मे हम लोग भरमाकर उसके कान की बाली व लाकेट निकलवाकर व कुछ पैसे एक पर्स मे रखवाकर उसे धोखे मे डालकर लेकर हम लोग चले गये थे।

बरामदगी का विवरण:-

01. एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

02. नगद कुल 2150 रूपये

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. आजाद कुमार पुत्र रामदुलार निवासी फैजुल्लापुर थाना देवगाव आजमगढ़

02. सुरेन्द्र राम पुत्र शोभनाथ राम निवासी कटघर लालगंज वार्ड नं 2 थाना देवगाव आजमगढ़

03. इंतखाब आलम पुत्र मो0अनीश निवासी कटघर लालगंज उत्तरी वार्ड नं 11 थाना देवगाव आजमगढ़

अपराधिक इतिहास:-

आजाद कुमार पुत्र रामदुलार निवासी फैजुल्लापुर थाना देवगाव आजमगढ़

01. मु0अ0सं0 341/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

02. मु0अ0सं0 311/2025 धारा 318(4) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

03. मु0अ0सं0 432/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

सुरेन्द्र राम पुत्र शोभनाथ राम निवासी कटघर लालगंज वार्ड नं 2 थाना देवगाव आजमगढ़

01. मु0अ0सं0 341/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

02. मु0अ0सं0 311/2025 धारा 318(4) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

इंतखाब आलम पुत्र मो0अनीश निवासी कटघर लालगंज उत्तरी वार्ड नं 11 थाना देवगाव, आजमगढ़

01. मु0अ0सं0 341/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
02. मु0अ0सं0 311/2025 धारा 318(4) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीमः-

01. उ0नि0 सुभाष तिवारी प्रभारी चौकी लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़
02. उ0नि0 हरिश्चन्द्र यादव चौकी लालगंज थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
03. उ0नि0 चित्रांशू मिश्रा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
04. उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
05. हे0का0 सर्वेश कुमार सिंह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
06. का0 कमलेश कुमार सरोज थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
07. का0 कमल चौरसिया थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

03.थाना- निजामाबाद पुलिस द्वारा कुल 19 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

आज दिनांक 24.09.25 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ के निर्देश पर वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना निजामाबाद द्वारा गठित टीम द्वारा विभिन्न मुकदमों में मा0 न्यायालय द्वारा जारी किये गये वारण्ट के अनुपालन में 19 नफर वारण्टी गिरफ्तार किये गये। बाद गिरफ्तारी वारण्टीगण को मा0 न्यायालय रवाना किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है-

गिरफ्तार वारण्टियों का विवरणः-

1. नगीना पुत्र सकलू निवासी मारूखपुर हादी अली थाना निजामाबाद,आजमगढ़ उम्र करीब-38 वर्ष
2. रन्जू देवी पत्नी दुधनाथ निवासी असनी थाना निजामाबाद,आजमगढ़ उम्र करीब- 38 वर्ष
3. दयाराम पुत्र राममूरत यादव निवासी मदारडाड थाना निजामाबाद,आजमगढ उम्र करीब-65 वर्ष
4. गोविन्द उर्फ गोविन्दा पुत्र राजाराम निवासी नसीरपुर खालसा थाना निजामाबाद,आजमगढ़ उम्र करीब-23 वर्ष
5. छोटे लाल पुत्र रामरूप निवासी मारूफपुर हादी अली थाना निजामाबाद,आजमगढ़ उम्र करीब-55 वर्ष
6. शमशाद पुत्र नईम निवासी बिजहर मैनुद्दीनपुर थाना निजामाबाद,आजमगढ़ उम्र करीब-37 वर्ष
7. गुड़िया पत्नी मोबिन निवासी बिजहर मैनुद्दीनपुर थाना निजामाबाद,आजमगढ़ उम्र करीब-35 वर्ष
8. नईम पुत्र हियाती निवासी बिजहर मैनुद्दीनपुर थाना निजामाबाद,आजमगढ़ उम्र करीब-60 वर्ष
9. रईसुननिशा पत्नी अमीन निवासी बिजहर मैनुद्दीनपुर थाना निजामाबाद,आजमगढ़ उम्र करीब-48 वर्ष
10. निशा पत्नी नईम निवासी बिजहर मैनुद्दीनपुर थाना निजामाबाद,आजमगढ़ उम्र करीब-50 वर्ष
11. नौशाद अहमद पुत्र नईम निवासी बिजहर मैनुद्दीनपुर थाना निजामाबाद,आजमगढ़ उम्र करीब-35 वर्ष
12. रामचन्द्र पुत्र बहादुर निवासी गन्धुवई थाना निजामाबाद,आजमगढ़ उम्र करीब-48 वर्ष
13. इन्द्रकेश पुत्र गदरी निवासी गन्धुवई थाना निजामाबाद,आजमगढ़ उम्र करीब- 52 वर्ष
14. पारस पुत्र सिनही निवासी रसूलपुर काजी फत्तनपुर थाना निजामाबाद,आजमगढ़ उम्र करीब-53 वर्ष
15. प्रहलाद पुत्र बहादुर निवासी गन्धुवई थाना निजामाबाद,आजमगढ़ उम्र करीब-59 वर्ष
16. तीरथ पुत्र सप्पति निवासी गन्धुवई थाना निजामाबाद,आजमगढ़ उम्र करीब-45वर्ष
17. रामू पुत्र दुर्जन निवासी मोलनापुर थाना निजामाबाद,आजमगढ़ उम्र करीब-45 वर्ष
18. पतरू यादव पुत्र राम बेलास यादव निवासी फरीदाबाद अम्बरपुर थाना निजामाबाद,आजमगढ़ उम्र करीब-52 वर्ष
19. जियालाल पुत्र सोनभदर निवासी गन्धुवई थाना निजामाबाद,आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

(टीम 01)	(टीम 02)
1. व0उ0नि0 सविन्द्र राय	01. थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह

2. उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह 3. उ0नि0 दिलीप आनन्द 4. उ0नि0 लाला राम 5. म0का0 मौसमी तिवारी 6. उ0नि0 कमला प्रसाद 7. हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव 8. हे0का0 हौसिलानन्द यादव 9. हे0का0 अतेन्द्र गौतम 10. हे0का0 राहुल कुमार सिंह 11. का0 राहुल सिंह 12. का0 सुमित सिंह 13. का0 विक्रम मौर्य 14. का0 अजय कुमार जायसवाल	02. उ0नि0 अनिल कुमार सिंह 03.म0उ0नि0 सानिया गुप्ता 04.उ0नि0 परमात्मा यादव 05.का0 रवि मौर्य 06.का0 मुरारी जायसवाल 07.का0 संजीव कुमार शर्मा 08.का0 मुकेश विश्वकर्मा 09.का0 राकेश कुमार यादव

04. थाना सिधारी: टेलीग्राम आईडी पर रूपयें का लालच देकर फ्राड किये गयें 05 हजार रूपयें आवदेक खाते में वापस कराया गया।

घटना का विवरण-

आवेदक श्री मनीत प्रजापति पुत्र अवधेश प्रजापति सा. बुदैठा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है, आवेदक पेशे से विद्यार्थी है, आवेदक के टेलीग्राम आईडी पर एक अज्ञात आईडी से मैसेज/QR आया जिस पर आवेदक को लालच दिया गया था कि इस QR पर 1000 रूपये पेमेंट करने पर 1200 /- रूपये आपको प्राप्त होंगे | आवेदक लालच में आकर पेमेंट किया गया था तथा आवेदक को 1200/- रूपये प्राप्त भी हुए थे | इसी क्रम में आवेदक को और लालच दिया गया कि 15000/- रूपये पेमेंट करने पर 23000/- प्राप्त होंगे, आवेदक द्वारा उसी बार कोड पर आवेदक ने रूपये पेमेंट किया गया तो कोई रुपया वापस नहीं आया | तब आवेदक मनीत प्रजापति उपरोक्त को ज्ञात हुआ की मेरे साथ साईबर फ्राड हुआ है तो आवेदक द्वारा शिकायत नं0 331042xxxxxxx दर्ज कराया गया।

बरामदगी का विवरण:-

आवेदक श्री मनीत प्रजापति पुत्र अवधेश प्रजापति सा. बुदैठा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा साईबर आनलाइन NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 33104250xxxxxx दर्ज कराया गया था | शिकायत दर्ज होने के उपरान्त NCRP पोर्टल द्वारा आवेदक का पैसा 5,000 /- रुपया State Bank of India मे होल्ड कर दिया गया। पैसा होल्ड होने के उपरान्त मा0 न्यायालय से पैसा वापस कराने हेतु कोर्ट आर्डर प्राप्त किया गया तथा विधिक कार्यवाही करते हुए आवेदक का पैसा 5,000 /- रुपया आवेदक के खाते मे वापस कराया गया।

पुलिस टीम का विवरण:-

1- साईबर टीम थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक- 24.09.2025, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम ने पारिवारिक विवाद को समाप्त कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया तथा महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा चौपाल लगाकर महिलाओं व बालिकाओं को सरकारी योजनाएं व हेल्प लाइन नम्बरों के बार में किया गया जागरूक।

1. मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत परिवार परामर्श केन्द्र पर उचित माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्र में सुनवायी हेतु दोनों पक्षों को बुलाया गया। दोनों पक्षों से वार्ता की गयी, आवेदिका काजल का विक्की के साथ प्रेम विवाह हुआ था जिनके बीच आपसी मतभेद व पारिवारिक कलह के कारण मनमुटाव हो गया था। दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कराते हुए समझा-बुझाकर आपसी मतभेद को दूर करके समझौता कर पुनर्मिलन कराया गया।

2. मन्दिर/दुर्गा पूजा पण्डालों/पंचायत भवन में महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा चौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को सरकारी योजनाएं व हेल्प लाइन नम्बर का प्रचार-प्रसार किया गया तथा फुट पेट्रोलिंग के दौरान रूक रूककर संवाद किया गया।

3. जनपद के प्रत्येक थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित स्कूल/कॉलेजों में महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र, हेल्प लाइन नम्बर, सरकारी योजनाओं, महिला अपराध सम्बन्धी कानूनों के बारे में व साइबर क्राइम के सम्बन्ध में जागरूक किया गया, तथा चिन्हित हॉट-स्पॉट स्थलों पर जनपद के समस्त एण्टी रोमियों टीम द्वारा सघन चेकिंग की गयी।

माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन सुनिश्चित व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया है। मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज- मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2025 को शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान नवरात्रि के तृतीय दिवस दिनांक- 24.09.2025 को जनपद आजमगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के अधीक्षक ग्रामीण/नोडल अधिकारी मिशन शक्ति चिराग जैन व पर्यवेक्षण अधिकारी श्रीमती आस्था जायसवाल क्षेत्राधि नेतृत्व में चलाया गया। मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत परिवार परामर्श केन्द्र पर उचित माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्र में सु पक्षों को बुलाया गया। दोनों पक्षों से वार्ता की गयी, आवेदिका काजल का विक्की के साथ प्रेम विवाह हुआ था जिनके मतभेद व पारिवारिक कलह के कारण मनमुटाव हो गया था। दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कराते हुए समझा-बुझाकर दूर करके समझौता कर पुनर्मिलन कराया गया। मन्दिर/दुर्गा पूजा पण्डालों/पंचायत भवन में महिला बीट पुलिस अधिका लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को सरकारी योजनाएं व हेल्प लाइन नम्बर का प्रचार-प्रसार किया गया तथा फुट पे रूक रूककर संवाद किया गया। जनपद के प्रत्येक थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित स्कूल/कॉलेजों में महिला अधिकारियों द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र, हेल्प लाइन नम्बर, सरकारी योजनाओं, महिला अपराध सम्बन्धी कानूनों के बारे के सम्बन्ध में जागरूक किया गया, तथा चिन्हित हॉट-स्पॉट स्थलों पर जनपद के समस्त एण्टी रोमियों टीम द्वारा सघन चे